

प्रेषक,

डा० पंकज कुमार घाण्डेय,
सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 04 जून, 2018

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में state consolidated Fund के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक मद हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, यू०आर०आर०डी०ए० के पत्र सं० 341 दिनांक 15.05.2018 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या P-17024/43/2009 दिनांक 14.05.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत state consolidated Fund के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक मद हेतु केन्द्रांश की धनराशि ₹9,22,50,000.00(नौ करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट में से स्वीकृत करते हुए, आपके निर्वतन पर निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने एवं नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

01. इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को तत्काल आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए० के बचत खाता सं० 30256973236 (ब्रांच कोड 5713) (IFS Code-SBIN0005713) एस०बी०आई०, बिरलॉज काम्प्लेक्स, राजपुर रोड, देहरादून के निर्वर्तन पर रखा जाना सुनिश्चित करें।
02. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यों/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा।
03. समस्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/एन०आर०आर०डी०ए० द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।
04. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
05. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवेल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
06. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएं उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख भी किया जाए।
07. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाए और प्रत्येक माह की स्वीकृति व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
08. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। बी०एम०-13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
09. मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के शासनादेश सं०-519 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये निर्देशानुसार व्यय दिनांक: 31.03.2019 तक सुनिश्चित किया जाय।
11. योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

02. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं०-19 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0106-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-24-वृहद निर्माण कार्य हेतु धनराशि ₹9,22,50,000.00(नौ करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) की मानक मदों के नामे डाला जाएगा एवं सुसंगत मदों से वहन किया जाएगा।

03. यह आदेश वित्त विभाग अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1805190245 दिनांक 30.05.2018 से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीया
(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)।

संख्या: /XI/2018/56(8)2014 TCतददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
02. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
03. श्री प्रियरंजन, निदेशक (RC), ग्रामीण विकास मंत्रालय, क०न० 369, कृषि भवन, नई दिल्ली।
04. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
05. मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
06. अनु सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
07. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डा० राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 1165 /XI/18/56(8)2014TC

अलोटमेंट आई डी - S1805190245

अनुदान संख्या - 019

आवंटन पत्र दिनांक -30-May-2018

HOD Name - Chief Engineer Level-2, PMGSY (2261)

- 1: लेखा शीर्षक 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परवि 00 -
102 - सामुदायिक विकास
01 - केन्द्र द्वारा पुरोत्थानति योजना
06 - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत नरिमाण कार्य	1657855499	92250000	1750105499
	1657855499	92250000	1750105499

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 92250000